

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 07-11-2024

श्रीमती शीतल पुत्री श्री प्यार चन्द, निवासी गांव धार ब्रहमपुरी, डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव धार ब्रहमपुरी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुश्री मुनादी.—आम जनता वासी गांव धार ब्रहमपुरी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा  
(हि0प्र0)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया श्रीमती शीतल पुत्री श्री प्यार चन्द, निवासी गांव धार ब्रहमपुरी,  
डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि  
उसका जन्म दिनांक 23-12-1986 को गांव धार ब्रहमपुरी, डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है।  
लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूपनगर में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे  
प्रार्थिया अब करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को  
प्रार्थिया शीतल पुत्री श्री प्यार चन्द के जन्म दिनांक 23-12-1986 को ग्राम पंचायत जगरूपनगर में पंजीकरण  
करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित  
तिथि पेशी 07-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी  
कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 07/BT/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री बली राम, निवासी गांव थलाकन, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां,  
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण  
करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री बली राम, निवासी गांव थलाकन, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 19-01-1965 को हुआ है। परन्तु गलती से ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री बली राम, निवासी गांव थलाकन, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि 19-10-1965 को जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 08/B/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

सरस्वती राणा पुत्री स्व0 श्री भेखा राम, निवासी गांव घरना, डा0 घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया सरस्वती राणा पुत्री स्व0 श्री भेखा राम, निवासी गांव घरना, डा0 घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 20-03-1964 को हुआ है। परन्तु गलती से ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया सरस्वती राणा पुत्री स्व0 श्री भेखा राम, निवासी गांव घरना, डा0 घरना की जन्म तिथि 20-03-1964 को जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 09/B/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

पवन कुमार पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव ठम्वा, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा,  
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण  
करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी पवन कुमार पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव ठम्वा, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा,  
हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 25-02-1976 को  
हुआ है। परन्तु गलती से ग्राम पंचायत छिलगा के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको  
ग्राम पंचायत छिलगा के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि  
इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असालतन व वकालतन  
पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा  
तथा प्रार्थी पवन कुमार पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव ठम्वा, डा0 खुण्डियां की जन्म तिथि 25-02-1976  
को जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत छिलगा के अभिलेख में  
दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 10/B/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

चैचला देवी पुत्री श्री भाग सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया चैचला देवी पुत्री श्री भाग सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 09-05-1967 को हुआ है। परन्तु गलती से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया चैचला देवी पुत्री श्री भाग सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डा0 खुण्डियां की जन्म तिथि दिनांक 09-05-1967 को जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 14/C/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

कुलदीप राणा पुत्र जगदीश चन्द, निवासी गांव फरेहडा, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी कुलदीप राणा पुत्र जगदीश चन्द, निवासी गांव फरेहडा, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल फरेहडा व धार चौकी, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम कुलदीप सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में प्रार्थी का नाम कुलदीप राणा दर्ज है, जो कि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को

दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम कुलदीप राणा उपनाम कुलदीप सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम कुलदीप राणा उपनाम कुलदीप सिंह, निवासी गांव फरेहडा, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल फरेहडा व धार चौकी के राजस्व अभिलेख में कुलदीप राणा उपनाम कुलदीप सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 15/C/NT/2024

तारीख पेशी : 04-11-2024

उधम सिंह पुत्र जैन्ता, निवासी गांव टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी उधम सिंह पुत्र जैन्ता, निवासी गांव टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम उधम सिंह दर्ज हो गया है जबकि बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र में प्रार्थी का नाम उधो राम दर्ज है, जो कि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम उधो राम उपनाम उधम सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम उधो राम उपनाम उधम सिंह, निवासी गांव टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला के राजस्व अभिलेख में उधो राम उपनाम उधम सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-----